

किशोरी लाल

बनाम

रूपा और अन्य

23 सितंबर, 2004

[अरिजीत पासायत और सी. के. ठाकर, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 389-विचारण न्यायालय द्वारा हत्या के लिए दोषसिद्धि-अपील के लंबित रहने के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा दण्डादेश पर रोक लगाई गई तथा जमानत इस आधार पर दी गई कि अभियुक्तगण ने विचारण न्यायालय में जमानत का दुरुपयोग नहीं किया। जमानत देने के विरुद्ध की गई - माना दण्डादेश पर रोक एवं जमानत देने को गलत माना। ऐसे आदेश नियमति रूप से पारित नहीं किये जायें। आदेश बिना प्रासंगिक कारक पर विचार किये बिना पारित किया गया, आवश्यक है कि अपराध जो हत्या से सम्बंधित है में जमानत देते समय विचार किया जाये।

उत्तरदाता-अभियुक्तों को निचली अदालत ने आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया तथा उसके लिये सजा दी। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, उन्होंने सजा के निष्पादन के निलंबन के लिए धारा 389 Cr.P.C के तहत आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर जमानत दी कि मुकदमे के दौरान वे जमानत पर थे और उन्होंने उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया था। अपीलार्थी-मुखबिर ने जमानत की मंजूरी को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: 1. सजा के निलंबन और जमानत देने का आदेश अवहनीय है। केवल यह तथ्य कि उस अवधि के दौरान जब अभियुक्त व्यक्ति मुकदमे के दौरान जमानत पर थे और स्वतंत्रता का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था। अपने आप में सजा के निष्पादन के निलंबन और जमानत देने का अधिकार नहीं देता। सुनवाई के दौरान दी गई जमानत देने का प्रभाव विचारण पुरे होने पर, एवं अभियुक्त की दोषसिद्धी होने पर महत्व खो देता है। उच्च न्यायालय द्वारा वास्तव में जिस बात पर विचार किया जाना आवश्यक था, वह यह थी कि क्या सजा के निष्पादन को निलंबित करने और उसके बाद जमानत देने के लिए कारण मौजूद थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने सही सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा है। [631 - एफ; 631-ए-बी]

हरियाणा राज्य बनाम हसमत, जे. टी. (2004) 6 एस. सी. 6, पर भरोसा किया।

2. धारा 389 Cr.P.C के आवश्यक अवयवों में से एक है। किशन लाल बनाम आरयूपीए [पासायत, जे।]

अपील न्यायालय सजा या आदेश के निष्पादन के निलंबन का आदेश देने के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करे। यदि वह कारावास में है, तो उक्त न्यायालय निर्देश दे सकता है कि उसे जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा किया जाए। लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि प्रासंगिक पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और सजा के निलंबन और जमानत देने का निर्देश देने वाले आदेश को नियमित रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए। [630 - डी-एफ]

3. आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि वाले मामलों में, यह केवल असाधारण मामले जिनमें सजा के निलंबन का लाभ दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय का विवादित आदेश आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या जैसे गंभीर अपराध से जुड़े मामले में जमानत के लिए अनुरोध पर विचार करते समय, अदालत को आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप की प्रकृति, जिस तरीके से अपराध का कारित करने का आरोप लगाया गया है, अपराध की गंभीरता और हत्या के गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा करने की वांछनीयता जैसे प्रासंगिक कारकों पर विचार करना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करते समय इन पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है। [631 - सी-ई]

विजय कुमार बनाम नरेंद्र और अन्य, [2002] 9 एससीसी 364 और रामजी प्रसाद वी. रतन कुमार जयसवाल और अन्य, [2002] 9 एस. सी. सी. 366, पर भरोसा किया।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील सं.1067 2004

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सी. आर. एल. अपील संख्या 148/2004 में
13.1.2004 दिनांकित निर्णय और आदेश से

अपीलार्थी की ओर से डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता।

उत्तरदाताओं के लिए शाहिद अनवर और नरेश कुमार।

राज्य के लिए आर. के. सिंह और जे. के. भाटिया।

न्यायालय का निर्णय श्री अरिजीत पासायत, जे, के द्वारा दिया गया।

इजाजत दी गई

मुखबिर ने अभियुक्त-प्रतिप्रार्थी को इलाहबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। प्रतिप्रार्थी 1 से 3 द्वारा पेश अपील में एक प्रार्थना पत्र धारा 389 के तहत एक आवेदन इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया था कि भारतीय दंड संहिता, 1973 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.')

की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उन्हें दोषी पाए जाने के बाद लगाए गए आजीवन कारावास की ठोस सजा और 1,000 के जुर्माने के निष्पादन को निलंबित कर दिया जाए। उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर जमानत दी गई कि मुकदमे के दौरान आरोपी प्रतिवादी जमानत पर थे और उन्होंने उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया था।

अपीलार्थी-मुखबिर के विद्वान वकील जो प्रतिप्रार्थी संख्या 4 के विद्वान वकील द्वारा समर्थित, के अनुसार उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है। बड़ी संख्या में मामलों में अभियुक्त प्रतिवादी संख्या 1 व 3 शामिल थे और अपीलार्थी और उसके परिवार को कानून का सहारा लेने के लिए गंभीर परिणाम भुगतने के लिए धमकाया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त प्रतिप्रार्थी 1 व 3 ने हालांकि ये तर्क दिया कि ये प्रकरण पुरानी रंजिश की वजह से लगाया गया तथा वर्तमान में कोई मामला लंबित नहीं है जहां वे आरोपी हैं।

संहिता की धारा 389 अपील लंबित रहने तक सजा के निष्पादन के निलंबन और अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है। जमानत और सजा के निलंबन के बीच अंतर है। धारा 389 के आवश्यक अवयवों में से एक अपील न्यायालय के लिए सजा या आदेश के निष्पादन के निलंबन का आदेश देने के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करने की आवश्यकता है। यदि वह कारावास में है, तो उक्त अदालत निर्देश दे सकती है कि उसे जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा किया जाए। लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से इंगित करती

है कि प्रासंगिक पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और सजा के निलंबन और जमानत देने का निर्देश देने वाले आदेश को नियमित रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए।

अपीली न्यायालय वस्तुनिष्ठ रूप से मामले का आकलन करने और इस निष्कर्ष के लिए कारण दर्ज करने के लिए बाध्य है कि प्रकरण में सजा के निलंबन एवं जमानत देने की आवश्यकता है। हस्तगत प्रकरण में एक मात्र कारक जो उच्च न्यायालय द्वारा सजा के निलंबन एवं जमानत देने के लिए तोला गया वह पहले की अवधि के दौरान स्वतंत्रता के दुरुपयोग का अभाव जब आरोपी प्रतिवादी जमानत पर थे प्रतीत होता है।

केवल यह तथ्य कि मुकदमे के दौरान उन्हें जमानत दी गई थी और स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं था, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। विचारण के दौरान दी गई जमानत का प्रभाव तब महत्व खो देता है जब सुनवाई पूरी होने पर आरोपी व्यक्तियों को दोषी पाया जाता है। केवल यह तथ्य कि उस अवधि के दौरान जब अभियुक्त व्यक्ति मुकदमे के दौरान जमानत पर थे, स्वतंत्रता का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ स्वतः ही, सजा के निष्पादन और जमानत देने के निलंबन की गारंटी नहीं देता है। उच्च न्यायालय द्वारा वास्तव में जिस बात पर विचार किया जाना आवश्यक था, वह यह है कि क्या सजा के निष्पादन को निलंबित करने और उसके बाद जमानत देने के लिए कारण मौजूद थे। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने सही सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा है।

ऐसे ही प्रश्न की न्यायिक दृष्टांत हरियाणा राज्य बनाम हसमत, जे.टी. (2004) 6 एससी में की गई। विजय कुमार बनाम नरेंद्र और अन्य, [2002] 9 एस. सी. सी. 364 और रामजी प्रसाद वी. रतन कुमार जायसवाल और एक अन्य, [2002] 9 एस. सी. सी. 366, में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आई. पी.

सी. की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि से जुड़े मामलों में, यह केवल असाधारण मामलों में ही सजा के निलंबन का लाभ दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय का विवादित आदेश आवश्यकताएँ पूरी नहीं करता है। विजय कुमार के मामले (उपरोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हत्या जैसे गंभीर अपराध से जुड़े मामले में जमानत के अनुरोध पर विचार करते हुए जो आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय है, न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप की प्रकृति और अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की वांछनीयता जो हत्या के गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद, जिस तरीके से अपराध किया गया है, उसकी गंभीरता जैसे प्रासंगिक कारकों पर विचार करना चाहिए। इन पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करते समय विचार नहीं किया गया।

सजा के निलंबन और जमानत देने का आदेश स्पष्ट रूप से है अवहनिय है तथा अपास्त किया जाता है। अभियुक्त-उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने बताया कि एक नया आवेदन दायर किया जाएगा। यदि यह किया जाता है, तो उच्च न्यायालय इसपर कानून के अनुसार बिना कहे, उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करेगा। हम इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।

तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हारुन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।